संशोधन

संख्या [illegible] /XVII(2)/2008-226(कल्याण)/2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,

देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला सश0 बाल वि0 एवं सै0 कल्याण अनुभाग देहरादून:दिनांक 13 मार्च,2008

विषयः <u>भर्ती एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु स्वीकृत पदों के नियत वेतन तथा भोजन की दर को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या:-207/XVII(2)/2007-226(कल्याण)/2001 दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के क्रमांक संख्या-2 पर निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्रमांक	पद नाम	पदों की संख्या	वर्तमान में देय नियत मानदेय (प्रतिमाह रु0)	पुनरीक्षित किये जाने वाला नियत मानदेय (प्रतिमाह रु0)
1.	क्वार्टर मास्टर (हवलदार)	01	3000	3900

2. शासनादेश संख्या-207/XVII(2)/2007-226(कल्याण)/2001 दिनांक 29 नवम्बर, 2007 में वर्णित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:- 1036(P)/XXVII(3) /2008, दिनांक 11 मार्च, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः- /XVIII(2)/2006-226(कल्याण)/2001, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(शोभा रतूड़ी)
सचिव।